ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.20, No.3, July-Sept., 2025/11

कामकाजी महिलाओं की परिवार में बदलती भूमिका (एक शोधपरक विश्लेषण)

अनामिका जायसवाल एवं अखिलेश त्रिपाठी

https://doi.org/ 10.61410/had.v20i3.245

सारांश :

प्रस्तुत शोध अध्ययन 'कामकाजी महिलाओं की परिवार में बदलती भूमिका' का एक समाज शास्त्री विश्लेषण है। उक्त अध्ययन में बदलते सामाजिक परिवेश में कामकाजी महिलाओं की परिवार में बदलती भूमिका व इसके प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। एतिहासिक रुप से महिलाओं को घर परिवार सम्भालने की जिम्मेदारी दी गयी तथा मुख्य आर्थिक गतिविधियों से दूर रखा गया है। परन्तु समय के प्रभाव में महिलाओं ने न केवल प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक व प्रबन्धकीय दायित्व को सम्भाला है अपितु अनेक प्रशासनिक व आर्थिक निकायों का नेतृत्व भी कर रही हैं। आशा है कामकाजी महिलाओं की परिवार में बदलती भूमिका का समाज शास्त्री अध्ययन प्रस्तुत करता यह शोध प्रस्ताव इस दिशा में एक सार्थक प्रयास सिद्ध होगा।

प्रस्तावना :

भारतीय समाज में महिलाओं की पारिवारिक भूमिका सदियों से एक निश्चित ढांचे में बंधी रही। उन्हें मुख्यतः गृहस्थी, बच्चों के पालन–पोषण तथा पारिवारिक संस्कारों का वाहक माना जाता रहा है। किन्तु पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थित में व्यापक परिर्वतन आया है। महिलाओं को समान्यतः घर की चाहरदिवारी के अन्दर रहकर पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाने की अपेक्षा की जाती रही है किन्तु जब बात अधिकारों की आती है तो लगभग सभी महत्वपूर्ण निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिये जाते रहे हैं।

शिक्षा प्राप्त महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति अधिक सजग हुयी हैं। शैक्षिक एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षणों ने महिलाओं को भी रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराये हैं। विशेषकर जब महिलाएं कार्य क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने लगीं तो परिवार की संरचना, सोच और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती चली गयी।

आज की स्त्री न केवल गृह लक्ष्मी है बल्कि आर्थिक सहयोगी, संवेदनशील निर्णयकर्ता, समान अभिभावक और समाज में प्रेरक नेतृत्वकर्ता की भूमिका भी निभा रही है। यह रुपांतरण आकस्मिक नही, बल्कि विभिन्न सामाजिक, अर्थिक परिवर्तनों, नीतिगत पहलू और महिला सशक्तिकरण अभियानों का प्रतिफल है।

एतिहासिक परिप्रेक्ष एवं सामाजिक सन्दर्भ :

भारत के पारम्परिक समाज में महिलाओं को मुख्यतः घरेलू दायित्वों तक ही सीमित रखा गया। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमोबेस अच्छी थी। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि मन्त्र रचयिता स्त्रियों का उल्लेख ऋगवेद में मिलता है। कार्य के अनुसार वर्ण निर्धारण सम्बन्धी श्लोक में

- शोधार्थी– डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
- शोध निर्देशक – असि0प्रो0 एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, टी.एन.पी.जी.कालेज टाण्डा अम्बेडकरनगर।

चक्की चलाने वाले के रुप में स्त्री की चर्चा की गयी है अर्थात स्त्रियाँ भी व्यवसाय अनुसार वर्ण निर्धारण योग्य थीं।

उत्तर वैदिक काल आते–आते स्त्रियों की दशा में गिरावट आयी। बहु–विवाह, बाल–विवाह, सती–प्रथा, पर्दा–प्रथा आदि विकारों ने स्त्रियों को समाज में द्वयम् दर्जे का नागरिक बना दिया। अपनी आर्थिक निर्भरता के कारण स्त्रियों ने अपनी इस सामाजिक स्थिति को स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद के काल जैसे गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल आदि में महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से सामान्यतः वंचित रखा गया। राजनीति में भी इनका निम्नतम् हस्तक्षेप रहा। त्याग करना महिलाओं का कर्तव्य माना गया एवं त्याग को इनके आभूषण की संज्ञा दी गयी। इसके इतर मनु स्मृति, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रन्थों में नारी को पतिव्रता, धर्मपत्नी और गृहलक्ष्मी के रुप में महिमामंडित भी किया गया।

आधुनिक युग की शुरुआत के साथ विशेषतः 19वीं सदी के प्रारम्भ से अनेक सामाजिक सुधार आन्दोलनों जैसे – राजा राममोहन राय द्वारा सती प्रथा उन्मूलन आन्दोलन, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर द्वारा विधवा विवाह प्रचार, ज्योतिबा फूले एवं सावित्री बाई फूले द्वारा स्त्री शिक्षा प्रारम्भ करने जैसे प्रयासों ने स्त्रियों के लिए नये द्वार खोले।

स्वतंत्रता के उपरान्त भारतीय संविधान ने महिलाओं को अनेक अधिकार दिए उदाहरण के रुप में अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेद–भाव का निषेध, अनुच्छेद 16 कार्यस्थल पर महिलाओं को समान दर्जा आदि अधिकारों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

कामकाजी महिलाओं की स्थिति : संख्यात्मक आंकड़ों की रोशनी में–

श्रम बल भागीदारी :

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2023 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 29.4% थी। वर्ष 2025 तक महिलाओं का श्रम बल भागीदारी प्रतिशत् बढ़कर 40% हो गया है। महिलाओं में बेरोजगारी की दर पूर्व के 5.6% से घटकर 3.2% रह गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2022 की रिर्पोट के अनुसार भारत में कार्यशील महिलाओं में से 80% से अधिक महिलाएँ घरेलू कार्यों में संलग्न थीं, जिनकी गणना सामान्यतः अवैतनिक श्रमिक के रुप में की गयी है। कार्यरत महिलाओं का एक बड़ा भाग अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार कर रहा है जहां पर उचित वेतन एवं कार्यात्मक स्थितियों का अभाव रहता है, जिसके कारण महिलाओं को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान में महिलाओं की संगठित क्षेत्र में नौकरियों में आवेदन में लगभग 23% की वृद्धि हुई है, जो टियर–2/3 शहरों में तेजी से बढ़ी हैं। राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो वर्ष 2024 के आम चुनाव में केवल 74 महिलाएं लोकसभा के लिए चुनीं गयीं, जो कुल सांसदों का 13.63% था। यदि स्वतंत्रता के बाद से गणना करें तो उस समय यह प्रतिशत् मात्र 4.41% ही था। इस स्थिति में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी दर अत्यन्त धीमी रही है। कई देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका, रवान्डा, स्वीडन, नार्वे आदि देशों में यह प्रतिशत् अत्यन्त उच्च है। राजनीतिक क्षेत्र के तृतीय स्तर पर पंचायत चुनावों में

महिलाओं को 33% आरक्षण देने से इस स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि अवश्य देखी गयी है।

ग्रामीण और शहरी परिदृष्य :

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 2024–25 के आंकड़ों के अनुसार 41% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह लगभग 25% ही थी। अर्थात अनेक महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर श्रमिक के रुप में कार्यरत हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 60% महिलाएं स्वरोजगार जैसे खेत पर काम, कुटीर उद्योग, पशुपालन आदि कार्यों में संलग्न है। शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में यह संख्या लगभग 35% ही है।

शिक्षा एवं कॅरियर :

शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो महिलाओं की शैक्षिक भागीदारी प्राथमिक से उच्च शिक्षा की ओर जाते–जाते घटती रहती है। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत् कमोबेस निम्नतम् ही रहा है।

शिक्षा का स्तर	महिला श्रम बल भागीदारी
अशिक्षित	अधिक संख्या में कार्यरत किन्तु सामन्यतः असंगठित क्षेत्रों, खेतिहर मजदूरों, घरेलू सहायिकाओं आदि के रुप में।
12वीं तक शिक्षा प्राप्त	घटती श्रम बल भागीदारी। (सामाजिक दबाव की अधिकता एवं कम अवसर उपलब्धता के कारण)
स्नातक एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्त	श्रम बल भागीदारी में पुनः वृद्धि (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, आई.टी. सेक्टर आदि क्षेत्रों में अवसरों की उपलब्धता के कारण)

कई बार ऐसा देखा गया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं उचित रोजगार न मिलने की दशा में बेरोजगार रहना पसन्द करती हैं। यह ट्रेंड परिवार में महिलाओं के महत्व को कम करता है और उन्हें अक्सर यह बोलकर नीचा भी दिखाया जाता है कि इतना पढ़ लिखकर क्या ही कर लिया है। अतः इस धारणा में परिवर्तन हेतु उच्च शिक्षित महिला का अपने पैरों पर खड़े होना समाज की सोच को बदल सकेगा।

कामकाजी महिलाओं का परिवार में बदलता स्थान :

आर्थिक आत्म निर्भरता का प्रभाव :

आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से महिलाएं सह आय अर्जन के रुप में परिवार में अपने महत्व को बढ़ा रही हैं। अपनी स्वयं की आय के कारण महिलाएं निर्णयों में भी आत्मनिर्भर हुयीं हैं। संयुक्त परिवार की पारम्परिक संरचना से परिवार का परिवर्तन नाभिकीय परिवार के रुप में तेजी से हुआ है। जिसमें माता–पिता एवं उनके बच्चे साथ रहते हैं। इस कारण निर्णय प्रक्रिया में स्त्री एवं पुरुष

दोनों की समान भूमिका देखी जा सकती है। पारिवारिक निर्णयों जैसे सम्पत्ति, बच्चों की शिक्षा, निवेश आदि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। एकल परिवार में भी साझा जिम्मेदारियों वाला परिवार तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आय अर्जक की भूमिका एवं घर की जिम्मेदारियों को साथ–साथ निभाते हैं।

भूमिका का विस्तारीकरण :

महिलाओं ने बच्चों के पालन–पोषण एवं घरेलू कार्यों से इतर अपनी भूमिका को विस्तारित किया है। महिलाएं घर से बाहर निकलकर अर्थसाधन में भागीदारी निभा रहीं हैं। जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। अपनी विस्तारित भूमिका के आलोक में महिलाएं रोजगार के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से कन्धे से कन्धा मिलाकर हिस्सेदारी कर रहीं हैं। बच्चो की परवरिश में लैंगिक समानता, आत्म निर्भरता एवं समान जिम्मेदारी का नया भाव देखा गया है। बचपन से ही बालिका शिशु की देखभाल एवं शिक्षा–दीक्षा को बालक शिशु के समान स्तर पर रखने के कारण महिलाओं की कार्य क्षमता में भी गुणात्मक सुधार हुआ है।

पुरुषों की भूमिका में परिर्वतन :

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज पितृसत्तात्मक रहा है। पुरुषों से परिवार हेतु आर्य अर्जन की अपेक्षा की जाती रही है। घरेलू कार्य एवं बच्चों की देखभाल जैसे कार्यों को उनकी जिम्मेदारी नहीं माना जाता रहा है। किन्तु बदलते समय में महिलाओं के आय अर्जक की भूमिका में आने से पुरुष भी अपनी रुढ़िवादी धारणा को छोड़कर घरेलू कार्यों में सहभागिता कर रहे हैं। यदि परिवार में पति–पत्नी दोनों रोजगार में हैं तो खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, कपड़े धोना आदि कार्यों को भी दोनों मिलकर करते हैं। इस नये प्रकार के परिवार की धारणा को 'सहभागी परिवार' कहा जाता है। ऐसे परिवार शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं।

समस्या और द्वंद :

दोहरी भूमिका का तनाव :

कामकाजी महिलाओं को ऑफिस और घर दोनों का संतुलन बनाकर रखना पड़ता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट–5 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं में तनाव एवं अवसाद के लक्षण सामान्य महिलाओं की तुलना में अधिक पाये गये। इन्दिरा नूयी ने द वायर के साथ अपने एक इन्टरव्यू में कहा था कि, जब वे पैप्सिको की अध्यक्ष बनीं तो उन्होने घर जाकर यह खुशी अपने परिवार के साथ साझा की तो उनकी सास का कथन था कि 'तुम जब घर आओगी तो अपने अध्यक्ष के ताज को गैराज में ही छोड़कर आओगी।' अर्थात वे घर में एक पत्नी, एक बहू, एक माँ की तरह ही रहेंगी। अर्थात महिला परिवार में अलग एवं कार्यस्थल पर अलग भूमिका निभायेगी। कार्यशील होना उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी को कम नहीं करता।

सामाजिक अपेक्षाएँ :

कुछ समय से महिलाओं को 'सुपर वुमेन' जैसे छवि ने फिट करके उनसे घर एवं बाहर की जिम्मेदारियाँ समान रुप से निभाने की आशा को अधिक बल दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ

सफल महिलाओं का स्पष्ट कहना है कि 'मुझे नहीं लगता कि महिलाएँ सब कुछ कर सकती हैं, हम केवल दिखावा कर सकते हैं कि हम सबकुछ कर सकते हैं।' अर्थात इस तरह की अपेक्षाओं से महिलाओं पर अनावश्यक मानसिक एवं शारीरिक दबाव पड़ता है एवं स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रुप से प्रभावित होता है।

कॅरियर में बाधा :

समाज आज भी महिलाओं से एक निश्चित दायरे में रहकर काम करने की अपेक्षा रखता है। पुरुषों के प्रभाव वाले क्षेत्र में महिलाओं को कानूनी प्रवेश तो मिला है किन्तु व्यवहारिक रुप से अभी भी उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए सेना एवं पैरा मिलिट्री फोर्स में जूते, चेस्टगार्ड आदि उपकरणों को पुरुषों की शारीरिक संरचना को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। महिलाओं से उन्हीं का इस्तेमाल करने की अपेक्षा की जाती है जो असुविधाजनक होता है। इसी प्रकार अनेक ऑफिसों में महिला प्रसाधन की उचित व्यवस्था का अभाव रहता है जो महिलाओं के कैरियर में बाधक सिद्ध होता है। प्राइवेट सेक्टर में उच्च पदों पर महिलाओं की पदोन्नति रोकने के लिये कई अदृश्य बाधाएं होती है। इसे एक नये सिद्धान्त 'ग्लास सीलिंग थ्योरी' के माध्यम से समझा जा सकता है।

भविष्य की दिशा :

कार्यस्थल पर अनुकूलन :

मातृत्व अवकाश, कार्य स्थल पर स्तनपान कक्ष की व्यवस्था। महिलाओं के लिए लीडरशिप डेपलपमेन्ट प्रोग्राम की व्यवस्था, समान कार्य के लिए समान वेतन की अनिवार्य व्यवस्था आदि के द्वारा कार्यस्थल को फीमेल फ्रेंडली बनाया जा सकता है।

सरकारी प्रयास और नीतियाँ :

भारत सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने हेतु अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की गयी है जिनमें बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केन्द्र, स्टार्ट–अप इण्डिया, आदि प्रमुख हैं। शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक डिजीटल जेन्डर एटलस तैयार किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मौजूदा स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग प्रसाधन व्यवस्था, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, किशोर शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन, जागरुकता शिविरों आदि की भी व्यवस्था की गयी है।

महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा तकनीकी शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु छात्रवृत्तियाँ आदि प्रयासों द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु अनेक प्रयास सरकार द्वारा किये जा रहे हैं जिससे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में गुणवत्ता पूर्ण सुधार किया जा सके।

उपसंहार :

कामकाजी महिलाओं की पारिवारिक भूमिका अब केवल परम्परागत सीमाओं तक ही प्रतिबन्धित नहीं रहीं हैं। वे अब निर्णायक, निर्माता, मार्गदर्शक और आर्थिक शक्ति के रुप में उभर रहीं हैं। यद्यपि

चुनौतियाँ हैं लेकिन उनके साहस, समर्पण और विवेक से समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन देखा जा सकता है।

यह सरकार, समाज और परिवार का दायित्व है कि वे मिलकर ऐसी संरचना तैयार करें जहां महिलाएँ बिना भेदभाव और अवरोध के अपने हर रुप को जी सकें। 'यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परन्तु यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।' यह उक्ति आज के परिप्रेक्ष में पहले से कहीं अधिक तर्कसंगत है।

संदर्भ ग्रंथ :

देवी सुमित्रा (2012)– भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका, नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन।

शुक्ला रेखा (2015) – कार्यशील महिलाएं और पारिवारिक तनाव, प्रयागराज, वाणी पब्लिकेशन।

अग्रवाल कविता (2011) – रोल कॉनफ्लिक्ट एण्ड बैलेंस एमंग वर्किंग वुमेन, जयपुर, रावत पब्लीकेशन।

चौहान उमा (2015) – वर्किंग लाइफ बैलेंस एमंग मिडिल क्लास वुमेन, लखनऊ विश्वविद्यालय।

गुप्ता सीमा (2010) – सोशल कॉनफ्लिक्ट ऑफ वुमेन इन द इरा ऑफ लिबरालाइजेशन, दिल्ली, ज्ञानबुक।

जोशी संध्या (2018) – चेन्जिंग सोशल कान्टेक्ट्स एण्ड वुमेन रोल, इग्नू रिर्सच।

मिश्रा रेखा (2007) – सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रोल स्ट्रेस एमंग मिडिल क्लास टीचर्स, कानपुर विश्वविद्यालय।

गुडे विलियम जे (1960)– ए थ्योरी ऑफ रोल स्ट्रेन इन अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिब्यू।

गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया पब्लिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिर्पोट, नई दिल्ली (2024–25)– सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

मिश्रा सी.आर. (2020)– रोल कान्फलिक्ट एण्ड वुमेन इन इण्डियन सोसाइटी, जे. एन.यू. दिल्ली।

कुमारी नीलम (2003)– रोल कान्फलिक्ट एमंग वर्किंग वुमेन, बी.एच.यू. वाराणसी।

ओकले एन. (1974)– द सोशियोलॉजी ऑफ हाउस वर्क, लन्दन, मार्टिन रार्बटसन प्रेस।

राव अंजली (2013)– वुमेन इम्पावरमेन्ट एण्ड रोल कान्फलिक्ट, मुम्बई विश्वविद्यालय।

सिंह मंजू (2016)– डुवल रोल ऑफ वुमेन : ए साइकोलॉजिकल प्रास्पेक्टिव, आगरा विश्वविद्यालय।